प्रो फार्मा II

भविष्य निर्वाह निधियों से अस्थायी अग्रिम स्वीकार किये जाने का फार्म

एतद् द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी संजय कुमार सिंह - प्रथम, अपर जिला जज को उनके सा0 भवि0 नि0/अंशदायी भवि0 नि0 सी0 पी0 एफ0 पी0 आई0 खाता-संख्या LJU/26974 से निवास के लिये भवन अग्रिम के भाग की पूर्ति के प्रयोजन के लिए खर्च की व्यवस्था करने हेतु 158000/- (रुपये शब्दों में) एक लाख अट्ठावन हजार की अस्थाई अग्रिम की स्वीकृति नियम संख्या 13(2)(6) के अनुसार दी जाती है।

2--अग्रिम 158000/- रुपये की 23 मासिक किस्तों में वसूली की जायेगी, जिसकी पहली किस्त मार्च 20 (माह) के वेतन जो अप्रैल 20 मासिक किस्तों में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

3--शासनादेश संख्या ________ दिनांक ________ के अनुसार स्वीकृत तथा भुगतान की गई ________ रुपये (शब्दों में) ________ के अग्रिम में से ________ रुपये (शब्दों में) ________ के रकम की वसूली अभी बाकी है। यह शेष धनराशि और स्वीकृत की गई अग्रिम की धनराशि जिसका कुल योग ________ रुपये ________ शब्दों में ________ होता है, की वसूली ________ रुपये की मासिक किस्तों में की जायेगी, जिसकी पहली किस्त ________ माह के वेतन जो (माह) में देय होगा, से प्रारम्भ होगी।

4--श्री/श्रीमती/कुमारी के खाते में दिनांक ________ को जमा धनराशि का विवरण निम्न है :

(1) वर्ष 2018-19 की लेखा पर्ची के अनुसार जमा शेष 1342259/- रुपया

(2) बाद में :

(क) [illegible] ________ से ________ तक ________ रुपया

(ख) [illegible] अग्रिम की वसूली माह ________ से ________ तक ________ रुपया

(3) [illegible] 1342259.00 रुपया

(4) [illegible] धनराशि 158000.00

(5) [illegible] शेष [illegible] 1184259.00

दिनांक ________

हस्ताक्षर स्वीकृति देने वाला अधिकारी

पदनाम जिला जज

विभाग झाँसी (उ0प्र0)

पी0 एस0 यू0 पी0--011 कोषागार--9-01-2007--20,000 प्रपत्र (डी0टी0पी0/आफ सेट)।